SEMESTER - 2

CC- 9

Contemporary India

- Unit - IV - Gender and politics in Contemporary India

  PART - 4

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेंद्र कुमार

विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 09835463960

Presented by:

शिप्रा नंदन

अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग

पटना विश्वविद्यालय, पटना

संपर्क : 08604171178

nandan.shiprabhu@gmail.com

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून

(Muslim Personal Law)

प्रत्येक धर्म का एक व्यक्तिगत कानून होता है,जिसपर उसकी मान्यताएं व जीवनशैली निर्भर करती है। इस्लाम धर्म का व्यक्तिगत कानून "शरीयत "को मानता है,जिसका शाब्दिक अर्थ है -"दैवीय कानून।" इस तरह के दैवीय कानून लगभग हर धर्म में ही मौजूद रहा है। शरीयत का कानून मुख्यतः चार प्रकार के स्रोतों से लागू होता था जिसमे प्रमुख था "कुरानशरीफ "। कुरान वह ग्रन्थ है जिसे स्वयं पैगम्बर मोहम्मद साहब ने देवदूत (जिब्राइल)की मदद से "अल्लाह के आदेशों" को लिखित रूप प्रदान किया था। हदीस वह ग्रन्थ है जिसमे पैगम्बर साहेब के व्यक्तिगत कथन और उनके कार्य संग्रहित थे।क़ियास में क़यास पर आधारित नियम वर्णित है और एज़्मा के अंतर्गत वैसे नियम आते है जिन्हे इस्लामिक विद्वानों और धर्माचार्यों ने मिलकर आपसी सहमति से जो कानून बनाया हो।

मुख्य रूप से इन चारों को मिलकर ही शरीयत का कानून बनाया गया। अब इस्लाम को मैंने वाले भी अलग -अलग सम्प्रदायों में बंटे हैं शिया और सुन्नी। पैगम्बर मुहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार के पद को लेकर मतभेत शुरू हो गए। एक मत वालों ने कहा कि मुहम्मद साहब के परिवार का ही कोई व्यक्ति इस पद पर बैठना चाहिए। इस तरह की मत वाले शिया कहलाये और जिन्होंने परिवार की बजाय योग्यता के बल पर उत्तराधिकार के निर्णय के मत में थे वो सुन्नी कहलाये। इनदोनो ही सम्प्रदायों ने शरीयत की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की है। वर्तमान में सुन्नियों की संख्या पुरे विश्व में ज्यादा है। सुन्नी सम्प्रदाय के अंतर्गत चार विचारधारा को मानने वाले हैं ,जिसमे "हनीफी

सम्प्रदाय "के लोग भारत में निवास करते हैं हुए हनीफी के अंतर्गत आने वाले कानूनों को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार शिया सम्प्रदाय को मानने भी अलग -अलग विचारधारा के लोग हैं जिसमे "इमामी सम्प्रदाय "को माननेवाले शिया भारत में निवास करते हैं। भरत में मुस्लिम शासन के दौरान औरंगज़ेब ने शरीयत के विभिन्न कानून को समग्र करके एक ग्रन्थ लिखा गया जिसका नाम है "फतवा -ए-आलमगीरी । यह ग्रन्थ पुरे भारत में चलता था,अंग्रेजो ने इसमें बदलाव १७७० के बाद करना शुरू किया। इस ग्रथ में मुख्या रूप से शरीयत की हनफ़ी सम्प्रदाय से सम्बंधित नियम वर्णित थे।

आपराधिक मामलों में हनफ़ी सम्प्रदाय अपराधों में कुछ अपराध "हुदूद "के नियम के अंतर्गत आते हैं ,जिसकी एक सजा होती है अपराधी को पत्थर मार मार कर मृत कर देना। हुदूद के नियम की व्याख्या शिया व सुन्नी में अलग -अलग है। हुदूद के कुछ नियम अत्यधिक कठोर हैं। इसके अंतर्गत एक नियम है "ज़ीना " का। इसके अंतर्गत स्त्री व्यभिचार (adultary)में लिप्त पाई गई तो उसपर ज़ीना का कानून लागू होता है। वहीँ एक और नियम है क़िस्सा(quisas)का नियम जो की दो लोगों के बीच में होता है और यदि वे चाहे तो एक दूसरे को माफ़ करके मामला रफा -दफा कर सकते हैं। ताज़िर(tazer)के अंतर्गत वैसे मामले होते थे जो हुदूद और क़िस्सा में शामिल नहीं थे।

हनफ़ी सम्प्रदाय में कुछ कानून महिलाओं के मामले में भेदभाव वाला था जैसे की ज़ीना का कानून।पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जियाउल हक़ ने पाकिस्तान में हुदूद का नियम लागू कर दिया था जिसमे अगर कोई महिला बलात्कार की शिकायत किसी पुरुष कके विरूद्ध करती तो उसे अपनी बात सही साबित करने के लिए चार चश्मदीद पुरुष लाने होंगे। अगर वो ये चश्मदीद नहीं ला पाती है तो उसे

इस कृत्य में सलग्न मन जायेगा और उसपर ज़ीना के तहत दंड दिया जायेगा। पाकिस्तान में एक केस आया मुख्तारन माई का,जिसे अंततः इन्साफ नहीं मिला परतु इस घटना ने इस तरह के कानूनों की विश्व स्तर पर निंदा की। इस घटना के बाद इस तरह के कानून में संसोधन करना अनिवार्य हो गया। ब्रिटिशकाल में पहला आपराधिक मामलों में कानून बना १८६१ में। वर्त्तमान में १९७३ का संशोधित कानून भारत में सभी धर्मो के उप्पर लागू है। इस कानून के कुछ धाराओं में समानता नहीं है पर अधिकांश मामलों में यह समान है।

अन्य धर्मो की ही तरह जैसे ही मुस्लिम धर्म में सुधार की बात कही जाती है एक आंदोलन शुरू हो जाता है,क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि सामाजिक नियमों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जबकि वंचित वर्ग अपने अधिकारों के लिए यह हस्तक्षेप चाहता है। ईसिस तरह कि व्यक्तिगत मामलो में हस्तक्षेप के लिए नारीवादियों ने नारा दिया था ;;"पर्सनल इस पोलिटिकल "। अंग्रेज़ों ने लगभग सभी धर्मों में हस्तक्षेप किया किन्तु वे १९३७ तक मुस्लिम धर्म में हस्तक्षेप करने से बचते आये। १९३७ में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया "द मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)अप्लीकेशन अधिनियम ,१९३७ और इसे पुरे भारत के मुसलमानों पर लग्गू कर दिया। इस अधिनियम में अदालत और उसकी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया गया जिसका सीधा सीधा अर्थ था कि काज़ी,मुफ़्ती और उलेमा मिलकर ही फैसला करेंगे। इस अधिनियम के सेक्शन -५ में वर्णित था कि विशेष परिस्थितियों में अदालत कि सहायता ली जाएगी और इसके बाद ही १९३९ में :डिसॉलूशन ऑफ़ मुस्लिम मैरिज एक्ट "आया। इसमें मुस्लिम महिलाओं को अदालत के जरिये तलाक़ का अधिकार

दिया गया। इस अधिनियम में तलाक़ का जिक्र तो था परन्तु गुजारेभत्ते का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इस तरह यह एक आधा - अधूरा अधिनियम था किन्तु फिर भी पहली बार मुस्लिम तलाक़ के सम्बन्ध में वैधानिक नियम को दर्शा रहा था इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है।

इस्लाम धर्म के अंतर्गत विवाह /निकाह एक समझौता होता है ,जिसके करना यहाँ तलाक़ अन्य धर्मों कि अपेक्षा सामाजिक कलक जैसी बात नहीं होती है। इस विवाह में लड़का और लड़की सभी शर्तों के साथ निकाहनामे पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ,जो कि सैद्धांतिक तौर पर आपसी रज़ामंदी को दर्शाता है। निकाहनामे में ही " मेहर " का जिक्र होता है जिसके अंतर्गत शौहर अपनी बीवी को एक निश्चित राशि देने की बात करता है। यही मेहर की रकम तलाक़ के वक़्त शौहर अपनी बीवी को अदा करता है। अगर शौहर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाये तो उसकी संपत्ति में से उसके जनाजे और उससे समबन्धित बाकि खर्चे निकालने के बाद मेहर की रकम उसकी विधवा को देने के बाद ही समपत्ति का बटवारा होता है। इस मेहर के समबन्ध में मुस्लिम पुरुषों का मानना है कि जब मेहर कि रकम अदा कर दी जाती है तो गुजरे भत्ते का कोई सवाल ही नहीं उठता।

इस मेहर कि राशि को लेकर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन कि सह -संस्थापक ज़किया सोमन ने एक सर्वे करवाया जिसमें पता चला कि ८४% महिलाओं ने बतया है कि मेहर कि रकम ०-१००० रुपये तक तय कि जाती है,जो कि महिलाओं कि असन्तोषजनक स्थिति को दर्शाता है। मुस्लिम विवाह के अंतर्गत जो बहुविवाह या द्विविवाह के मामले में जो कुरान एक उदहारण दिया जाता है वह उचित अर्थों में नहीं दिया जाता। कुरानशरीफ में चार विवाह तक जायज कहा गया है किन्तु उसकी कुछ शर्तें राखी

गई हैं। जिसमे से एक तो यह है कि जहा पर महिलाओं कि संख्या पुरुषों के मुकाबले जयादा है वहाँ उन महिलाओं को भरण -पोषण के लिए पुरुष का एक से ज्यादा विवाह करना धर्मसम्मत है जो कि पैगम्बर साहब कि नेक नियति को दर्शाता है। दूसरी शर्त में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष अपनी सभी पत्नियों को समान दर्जा दे पाए तो वहाँ भी एक से ज्यादा विवाह जायज होता है। अधिकांश देशों में यह कानून वर्त्तमान समय में चलायमान नहीं है परन्तु भारत में यह नियम चलता है।

इस्लामिक धर्म में तलाक़ के सम्बन्ध में एक नियम है निकाह -हलाला,जिसके विरूद्ध लगातार मुस्लिम महिलाओं व अन्य संगठनों के द्वारा आंदोलन चलाये जा रहे हैं। जो किसी रस्म को हलाल (permitted) बनती है वह प्रकिर्या हालाला कहलाती है। इस नियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्री पुरुष में तलाक़ होने बाद अगर उन्हें फिर से आपस में शादी करनी हो तो पहले उस महिला को किसी अन्य पुरुष से विवाह करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बना के फिर उससे तलाक़ लेकर वह पुनः पहले शौहर से विवाह कर सकती है और इसी इस्लामिक हलाल प्रकिर्या को निकाह -ए-हलाला कहते हैं। इस्लाम धर्म में तलाक़ के कई प्रकार है-तलाक़ ,खुला ,मुबारत ,तफ़वीज़ ,लियान ,खियार और अदालत के द्वारा। इसमें तलाक़ की प्रक्रिया के अंतर्गत दो प्रकार प्रचलित हैं -

१)तलाक़ ए सुन्नत ::जिस नियम को पैगम्बर साहब ने लिखा हो।

२)तलाक़ ए बिदत::नवाचार करके बनाया गया तलाक़ का नियम।

तलाक़ ए सुन्नत के तहत इदत्त की अवधि(३ महीने)के बाद ही तलाक़ मुकम्मल माना जाता है। इसके अंतर्गत ३ महीने का वक़्त दिया गया है ताकि आपसी सुलह से तलाक़ टाला जा सके।

परन्तु तलाक़ ए बिद्दत में न सिर्फ बोलकर बल्कि लिखकर,मैसेज के द्वारा ,मेल करके,पोस्ट कार्ड के द्वारा ,फैक्स आदि से तलाक़ लिया जा सकता है। इंडिया टुडे के सर्वे ने अपने एक रिपोर्ट में बतया की ऐसा नियम काजियों ने अपने फायदे के लिए बनाये है। तलाक़ ए बिद्दत,द्विविवाह/बहुविवाह ,मेहर की काम राशि ही मुस्लिम धर्म के विवाह व्यवस्था में महिलाओं के लिए समस्या की मूल वजह है,जिसमे सुधार करने और एक समान नागरिक संहिता बनाने की मांग लगातार उठाई जा रही है।समानता "को पूर्ण रूपेण प्राप्त किया जा सके।